झारखण्ड सरकार

# वाणिज्य–कर विभाग

## कर समाहितकरण योजना (Tax Composition Scheme)के अधीन सम्मिलित व्यवसायियों के लिए विशेष सूचना।

कर समाहितकरण योजना (**Tax Composition Scheme**) में सम्मिलित व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष ऐसे व्यवसायियों को कर समाहितकरण योजना के अधीन बने रहने के लिए झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 60 के अधीन प्रावधानित विहित नये प्रपत्र **JVAT 119** में विकल्प देना आवश्यक है।

**वाणिज्य–कर विभाग द्वारा पूर्व सूचित सूचना के अनुसार उक्त विकल्प देने की अंतिम तिथि 15 जून, 2015 थी जिसे व्यवसायियों के अनुरोध पर बढ़ाकर दिनांक 15 अगस्त, 2015 किया जाता है।**

अतः सभी निबंधित व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 अगस्त, 2015 तक आवश्यक रूप से **JVAT 119** में कर समाहितकरण योजना (**Tax Composition Scheme**) में बने रहने हेतु ऑनलाईन आवेदन (**Online Application**) देना सुनिश्चित करें।

व्यवसायियों द्वारा **JVAT 119** दाखिल करने संबंधित मैनुअल विभागीय वेबसाईट **www.jharkhandcomtax.gov.in** पर उपलब्ध है। किसी प्रकार की समस्या होने पर विभागीय **HELP DESK** दूरभाष संख्या **0651-6066005 / 0651-2446102 / 0651-6999975 / 0651-6999976** पर (**सुबह 10:00 से संख्या 8:00 बजे तक**) तथा **संध्या 8:00 बजे से सुबह 10:00 बजे** तक मोबाईल संख्या–**7762837076 एवं 7762837078** पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

**वाणिज्य–कर विभाग**
**झारखण्ड सरकार**

21/07/15.